



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229753
CG-DL-E-17092021-229753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3498]
No. 3498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3810(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 340सी के कि.मी. 6.0 से कि.मी. 15.0 तक के निर्माण (चौड़ीकरण 4/6 लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-340सी पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर (आरबी एंड आर), करनूल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH340C के कि.मी. 6 से 15 तक	आंध्र प्रदेश	करनूल	कल्लुर	1 कल्लुर
					करनूल अर्बन	1 जोहरापुरम
					करनूल रूरल	1 पसुपाला 2 रुद्रवरम 3 गार्गेयापुरम

[फा. सं. RW/NH-12014/21/2020-AP/Zone-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

S.O. 3810(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening 4/6 laning, etc.), maintenance, management and operation from km. 6.0 to km.15.0 of National Highway No.340C in the district of Kurnool in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.340C in the district of Kurnool in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector (RB&R), Kurnool	6KM To 15KM	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	Kallur	1 KALLUR
					Kurnool Urban	1 Johrapuram
					Kurnool Rural	1 Pasupala

						<table><tr><td>2</td><td>Rudravaram</td></tr><tr><td>3</td><td>Gargeyapuram</td></tr></table>	2	Rudravaram	3	Gargeyapuram
2	Rudravaram									
3	Gargeyapuram									

[F. No. RW/NH-12014/21/2020-AP/Zone-III]

RAJESH GUPTA, Director